न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 82 / 2022

1 श्रीमती सरोज उर्फ राजेश पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी शिवदयालपुरा (नयाबास) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 प्रताप सिंह उम्र 43 साल पुत्र शिवचरण जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 संदीप कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बहादुरवास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 सलीम पुत्र ईब्राहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 बहादुर सिंह उम्र 40 साल पुत्र लिछमण राम जाति जाट निवासी गांव लुटू हाल निवासी वार्ड नम्बर 1 कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
4 असगर पुत्र ईब्राहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
5 असगर अली पुत्र भुरा जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6 जाकिर पुत्र ईब्राहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7 दौलत बेगम पत्नी कुर्शीद हुसैन जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8 नजीर अहमद पुत्र खुर्शीद हुसैन जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 प्रदीप पुत्र बाबुलाल जाति सुनार निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

10 बाबू पुत्र ईब्राहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

11 भंवरी पत्नी ईब्राहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

12 मुकेश देवी पत्नी राजेन्द्र कमार जाति जाट निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

13 मजीदा पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

14 मुस्ताक अहमद पुत्र मुन्नवर हुसैन जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

15 महेश कुमावत पुत्र जगदीश प्रसा जाति कुमावत निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

16 मोहम्मद इकबाल पुत्र हाजी ईब्राहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

17 मोहम्मद सलीम पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

18 युसूफ पुत्र ईब्राहिम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

19 रूस्तम पुत्र ईब्राहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

20 लालमोहम्मद पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

21 सतरूप सिंह पुत्र श्योचन्दराम जाति जाट निवासी ढाणी दादरवालों की पोस्ट नंगली सलेदी सिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

22 सुरेश कुमार पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्रबन्ध भू-प्रबन्ध सीकर सत्यमेव जयते

23 सलीम पुत्र ईब्राहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

24 हासिम पुत्र अब्दुले खां जाति मुसलमान निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

25 श्रीमती आची पत्नी रजाक निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

26 आरीफ पुत्र रजाक निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

27 लतीफ पुत्र रजाक निवासी कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

28 बलकेश पुत्री रजाक पत्नी लाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बस स्टैण्ड के पास राजगढ़ जिला चुरू राज.।

29 फिरदोस पुत्री रजाक पत्नी मजीज बिस्ती जाति मुसलमान बिस्ती निवासी शिव मंदिर के पास सीकर जिला सीकर राज.।

30 हरीसा पुत्री रजाक पत्नी हमीद जाति मुसलमान बिस्ती निवासी शिव मंदिर के पास सीकर जिला सीकर राज.।

31 अब्दुल हलीम पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी मंड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

32 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं।

33 उप पंजीयक कार्यालय झुन्झुनूं।

34 प्रमोद कुमार पुत्र मक्खनलाल जाति नाई निवासी हेतमसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू जिला झुन्झुनू प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा उनवानी संदीप कुमार बनाम सलीम वगै.
मु.नं. 99/2018 निर्णय दिनांक 09.05.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (राजस्थान)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 99/2018 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहा एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया जो विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.05.2022 के द्वारा निर्णित कर अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से मौका व रिकार्ड की यथास्थिति से पाबंद करने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय जेर बहस स्पीकिंग नहीं है। निर्णय के आधारं स्पष्ट नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की प्लींडिग को नजर अंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। विचारण न्यायालय ने प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपार क्षति के बिन्दु को तय किये बिना निणय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भुल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या का प्राईमाफेसी केस नहीं है। अपीलांटस ने पंजीकृत विकय विलेख के मार्फत राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार से जमीन भौतिक कब्जे सहित कय की है। अपीलान्टस का जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा है। कब्जे के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर तथ्य व विधि की भुल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मौके पर कब्जा नहीं है। जमीन जैर बहस पर काबिज तमाम व्यक्तियों को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्टस के विरूद्ध मौका व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार को नजर अंदाज निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टस के हक में हुए विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिए दीवानी अदालत में दावा कर रखा है। जो लंबित है। दीवानी अदालत में दावा लंबित रहने के दौरान विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर तथ्य व विधि की भुल की है। निर्णय जैर बहस अवैध व शुन्य है। अपीलान्टस जमीन जैर बहस के खातेदार है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। खातेदार को उसकी भूमि के फुटस लेने से नहीं रोका जा सकता। कब्जे का निर्धारण किये बिना यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना अवैध व शुन्य है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने न्यायिक विवेक अपनाये बिना ही मनमर्जी से निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है और निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2022 को अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2002(1) एचस पेज 589, आरएलडब्ल्यू 2005(2) आरजे पेज 242, आरआरटी 2007(2) पेज 945, आरबीजे 2010 पेज 614 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। मूलवाद के निर्णय से पूर्व अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर किसी भी पक्षकार को निर्माण की छुट प्रदान किया जाना अथवा विशिष्ट भू-भाग विक्रय किये जाने की छूट

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2011(2) राज एचसी पेज 789, सीजे(सीव) 2019(2) राज पेज 905, आरएलडब्ल्यू 2011(2) राज एचसी पेज 792, डीएनजे 2008(1) राज एचसी पेज 3681, आरआरटी 2009—10 सप्ली. पेज 220 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। मूलवाद के निर्णय से पूर्व अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू—भाग पर किसी भी पक्षकार को निर्माण की छुट प्रदान किया जाना अथवा विशिष्ट भू—भाग विक्रय किये जाने की छूट प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)